कम्प्यूटर परिपत्र सं० - 1415045 दि० 17-07-2014

प0स0-विधि-4(1)-अधिनियम/नियमावली संशोधन भाग-8(14-15)/553 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

(विधि-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: जुलाई 17 ,2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय - रु0 25 लाख वार्षिक टर्न ओवर वाले व्यापारियों के कर निर्धारण के सम्बन्ध में अध्यादेश संख्या-4 सन् 2014 द्वारा प्रख्यापित प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के प0स0-विधि-4(1)-अधिनियम/नियमावली संशोधन/(14-15)/ 354/वाणिज्य कर, दिनांक 20-6-2014 का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए रु0 25 लाख वार्षिक टर्न ओवर वाले व्यापारियों के चयन से संबंधित विवरण प्रारुप-क में भेजने की तिथि बढ़ाकर 15 जुलाई, 2014 तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा इनका एप्रूवल (Approval) दिनांक 20 जुलाई, 2014 तक किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे।

उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 20-6-2014 द्वारा जारी निर्देशों के सम्बन्ध में फील्ड के अधिकारियों द्वारा कार्य की अधिकता के दृष्टिगत समयावधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया है, जिस पर सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2011-12 के लिए रु0 25 लाख वार्षिक टर्न ओवर वाले व्यापारियों के चयन से संबंधित विवरण प्रारुप-क में भेजने की तिथि बढ़ा कर **31 जुलाई, 2014** तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा इनका **एप्रूवल (Approval) दिनांक 5-8-2014** तक किये जाने के निर्देश निर्गत किये जाते हैं।

तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

यह पत्र कमिश्नर वाणिज्य कर के आदेश के क्रम में पारित किया जा रहा है।

17.7.14

(योगेन्द्र कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।